

न्यूनतम समर्थन मूल्य: उद्भव, लाभ और सीमाएँ



पूनम चतुर्वेदी^{1*}, बादल वर्मा²

¹कृषि अर्थशास्त्र विभाग, कृषि
महाविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू
कृषि विश्व विद्यालय, जबलपुर-
482004, मध्य प्रदेश

²भा.कृ.अनु.प.-खरपतवार
अनुसंधान निदेशालय, जबलपुर-
482004, मध्य प्रदेश

*अनुरूपी लेखक

पूनम चतुर्वेदी*

हर फसल कटाई के मौसम में, भारत की कृषि बहसों में एक शब्द गुंजता है—न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)। कुछ लोगों के लिए, यह किसानों को बाज़ार में गिरावट से बचाने वाली जीवन रेखा है; दूसरों के लिए, यह विकृतियों से भरी एक महंगी नीति है। लेकिन आखिर MSP क्या है, इसे क्यों लागू किया गया था, और यह आज भारतीय कृषि को कैसे आकार दे रहा है? आइए सबसे पहले जानते हैं कि MSP क्या है?

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

सरल शब्दों में, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) एक न्यूनतम मूल्य है जिसकी घोषणा सरकार हर साल करती है जो किसानों को कृषि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट से बचाती है। मान लीजिए किसी वर्ष किसी विशेष कृषि वस्तु की आपूर्ति अधिक हो जाती है, तो बाज़ार में आपूर्ति अधिक होने के कारण उस वस्तु की कीमत गिर जाती है।

इससे किसानों को नुकसान होगा क्योंकि अगर उन्हें अपनी उपज का मूल्य एक निश्चित सीमा से नीचे मिलता है, तो वे अपनी लागत भी नहीं निकाल पाएँगे और घाटे में रहेंगे। ऐसी स्थिति से बचने के लिए, सरकार हर साल फसलों की बुवाई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा करती है। इस प्रकार, यह किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की उत्पत्ति

न्यूनतम समर्थन मूल्य की उत्पत्ति 1966-67 में हुई थी। इसके पीछे कई कारण हैं। 1960 के दशक में, बिहार में 1966-67 के अकाल के कारण भारत को खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ा। हरित क्रांति के शुरुआती वर्षों में भी, किसानों द्वारा नवीनतम तकनीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करने और भूमि की कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई नीतियाँ लागू की गईं। उच्च उपज वाले बीजों,

उर्वरकों को अपनाना, नवीनतम तकनीकों को लागू करना आदि विभिन्न रणनीतियों में शामिल थीं। 1965 में, कृषि मूल्य आयोग (APC) की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्यसहित विभिन्न मूल्य नीतियों को लागू करना और रियायती दरों पर खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली लागू करना था। फिर 1985 में, APC को कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) में बदल दिया गया, जो हर साल विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यकी अनुशंसा करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत वास्तव में क्या शामिल है

शुरुआत में कुछ अनाज फसलों के लिए एमएसपी घोषित किया गया था, लेकिन आज यह एक दर्जन से ज्यादा वस्तुओं के लिए घोषित किया जाता है। इसमें चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, ज्वार, जौ आदि अनाजों से लेकर चना, अरहर,

मसूर जैसे तिलहन और दलहनों के साथ-साथ कपास, खोपरा, कच्चा जूट और गन्ना जैसी व्यावसायिक फसलें भी शामिल हैं। गन्ने के लिए एमएसपी की जगह, उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) लागू किया गया है। इस प्रकार, गन्ने सहित कुल 23 फसलें एमएसपी के अंतर्गत आती हैं।

अनाज: धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी

दालें: चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर

तिलहन: मूंगफली, रेपसीड, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम, नाइजर सीड

व्यावसायिक फसलें: खोपरा, गन्ना, कपास, कच्चा जूट

न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाम (MSP) उचित और लाभकारी मूल्य (FRP)

एमएसपी एक प्रशासनिक मूल्य है जिसकी घोषणा केंद्र सरकार कई फसलों के लिए करती है; यह खरीद का मार्गदर्शन करता है,

लेकिन निजी व्यापारियों पर कानूनी रूप से लागू खरीद दायित्व नहीं है। गन्ने के मामले में स्थिति अलग है, मिलों को कानूनी रूप से कम से कम उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का भुगतान करना आवश्यक है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत केंद्र द्वारा प्रत्येक सीजन में निर्धारित किया जाता है। राज्य भी उच्च राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) निर्धारित कर सकते हैं, और मिलों को जो भी अधिक हो, उसका भुगतान करना होगा। भुगतान न करने या कम भुगतान करने पर दंडात्मक कार्रवाई और वसूली हो सकती है, और आदेश में गन्ना वितरण के 14 दिनों के भीतर भुगतान का प्रावधान है। 2025-26 (1 अक्टूबर, 2025 से शुरू होने वाला चीनी सीजन) के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मूल वसूली दर पर ₹355 प्रति क्विंटल के एफआरपी को मंजूरी दी है, जिसका भुगतान मिलों को गन्ना उत्पादकों को करना होगा। इसलिए, निजी खरीदारों के लिए एमएसपी अनिवार्य नहीं है, जबकि एफआरपी एक वैधानिक न्यूनतम है, जिसका भुगतान मिलों को करना होता है।

एमएसपी में शामिल संगठन

हर साल सरकार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। राष्ट्रीय आवश्यकताओं, मजदूरी पर प्रभाव, जीवन-यापन की लागत आदि जैसे कई कारकों के आधार पर सीएसीपी द्वारा इसकी अनुशंसा की जाती है। सीएसीपी 2009 में उसे दिए गए विभिन्न संदर्भ शर्तों (टीओआर) के आधार पर एमएसपी की अनुशंसा करता है। विभिन्न कृषि जिलों के लिए अंतिम एमएसपी की घोषणा

आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) द्वारा की जाती है। राज्य स्तर पर एमएसपी की खरीद और कार्यान्वयन का काम भारतीय खाद्य निगम जैसी संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जो गेहूँ और चावल की खरीद में शामिल है। नेफेड और एनसीसीएफ दलहन और तिलहन की खरीद के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं, जबकि भारतीय कपास निगम (सीसीआई) कपास के लिए और भारतीय जूट निगम कच्चे जूट की खरीद करता है। अन्य योजनाएँ जैसे मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), 2015 की विकेन्द्रीकृत खरीद योजना (डीसीपी), और हाल ही में 2018 का व्यापक अभियान, किसान आय संरक्षण योजना (पीएम आशा) एमएसपी की पूर्ति सुनिश्चित करने में शामिल हैं।

न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना

न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें सरकार यह सुनिश्चित करती है कि यह बजट 2018-19 में घोषित उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना हो। इस उद्देश्य के लिए, A2+FL की लागत अवधारणा को संदर्भ के रूप में लिया जाता है, जिसमें A2 में बीज, उर्वरक, ईंधन, भाड़े के श्रम, मशीनरी शुल्क जैसे सभी भुगतान किए गए खर्च शामिल होते हैं और FL पारिवारिक श्रम के अनुमानित मूल्य को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, अधिक व्यापक C2 लागत, जिसमें स्वामित्व वाली भूमि का किराया और स्थायी पूंजी पर ब्याज भी शामिल होता है, का उपयोग सीएसीपी द्वारा मूल्य पर्याप्तता की जाँच के लिए एक मानक के रूप में किया जाता है,

विशेष रूप से प्रमुख उत्पादक राज्यों में। हालाँकि, किसानों को एमएसपी पर या खुले बाजार में सरकारी एजेंसियों को बेचने की स्वतंत्रता है।

एमएसपी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए, सरकार इसे इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम), किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को बढ़ावा देने और ग्राम-स्तरीय ग्रामीण कृषि बाजारों (ग्राम) की स्थापना जैसे उपायों के साथ पूरक बनाती है। इसके अलावा, पीएम-आशा की व्यापक योजना मूल्य समर्थन योजना (दालों, तिलहन और खोपरा की सीधी खरीद), मूल्य न्यूनता भुगतान योजना (बाजार मूल्य एमएसपी से नीचे गिरने पर किसानों को मुआवजा देना) और निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना के माध्यम से एमएसपी संचालन का समर्थन करती है।

किसानों के लिए एमएसपी के लाभ

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) किसानों को आय सुरक्षा प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह एक न्यूनतम मूल्य निर्धारण योजना के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि बाजार मूल्य गिरने पर उन्हें अपनी उपज औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर न होना पड़े। यह किसानों को नई तकनीकों और आदानों को अपनाने का विश्वास दिलाता है, जो हरित क्रांति के दौर में विशेष रूप से महत्वपूर्ण था और आज भी फसल नियोजन में सहायक है। आवश्यक खाद्यान्नों की खरीद की गारंटी देकर, एमएसपी सरकार को बफर स्टॉक बनाए रखने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आपूर्ति करने में भी

मदद करता है, जिससे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मजबूत होती है। इसके अलावा, एमएसपी आकर्षक रिटर्न प्रदान करके दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में कार्य करता है, जिससे पोषण सुरक्षा और आयात निर्भरता में कमी दोनों में योगदान मिलता है।

सीमाएँ और चुनौतियाँ

अपनी महत्ता के बावजूद, एमएसपी को व्यवहार में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। खरीद की पहुँच सीमित है, कुछ ही राज्यों में केंद्रित किसानों का एक छोटा सा हिस्सा ही वास्तव में अपनी उपज एमएसपी पर बेच

पाता है। यह प्रणाली चावल और गेहूँ की ओर अत्यधिक झुकी हुई है, जिससे क्षेत्रीय और फसल असंतुलन पैदा होता है, जबकि दलहन, तिलहन या मोटे अनाज उगाने वाले किसान अक्सर लाभ पाने के लिए संघर्ष करते हैं। इसने पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में जल-प्रधान खेती को भी बढ़ावा दिया है, जिससे भूजल का हास और पर्यावरणीय तनाव बढ़ा है। राजकोषीय पक्ष पर, बड़े पैमाने पर खरीद के परिणामस्वरूप उच्च सब्सिडी बिल, भंडारण और परिवहन लागत, और एफसीआई जैसी एजेंसियों के भीतर अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं। अंत में, गुणवत्ता

मानकों का अनुपालन, जागरूकता की कमी और बिचौलियों पर निर्भरता अक्सर छोटे और सीमांत किसानों के लिए एमएसपी लाभों तक पहुँच को कठिन बना देती है, जिससे कई किसान अस्थिर खुले बाजारों पर निर्भर हो जाते हैं।

वर्तमान रुझान और हालिया एमएसपी घोषणाएँ (खरीफ विपणन सत्र 2025-26)

28 मई, 2025 को, मंत्रिमंडल ने 2025-26 विपणन सत्र के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए एमएसपी को मंजूरी दी। मुख्य एमएसपी (₹/किलो) में शामिल हैं:

फसल	एमएसपी (₹/किलो)	फसल	एमएसपी (₹/किलो)	फसल	एमएसपी (₹/किलो)
धान (सामान्य)	₹2,369	रागी	₹4,886	सोयाबीन (पीला)	₹5,328
धान (ग्रेड-ए)	₹2,389	तुअर/अरहर	₹8,000	सूरजमुखी के बीज	₹7,721
मक्का	₹2,400	मूंग	₹8,768	नाइजर के बीज	₹9,537
बाजरा	₹2,775	उड़द	₹7,800	तिल	₹9,846
ज्वार (संकर)	₹3,699	मूंगफली	₹7,263	कपास (लंबी रेशा)	₹8,110
				कपास (मध्यम स्टेपल)	₹7,710

सरकार बताती है कि एमएसपी आमतौर पर किसानों को उनकी मूल खेती लागत (ए2+एफएल) पर लगभग 50% लाभ देने के लिए तय किया जाता है। बाजरा, मक्का और अरहर जैसी कुछ फसलों के लिए, लाभ मार्जिन और भी ज्यादा, लगभग 60%, होता है ताकि उन्हें उगाना ज्यादा आकर्षक बनाया जा सके। यह दलहन, तिलहन और पोषक अनाजों के उत्पादन को अपेक्षाकृत बेहतर मूल्य समर्थन देकर प्रोत्साहित करने की एक स्पष्ट नीतिगत पहल को दर्शाता है।

संदर्भ

देशपांडे, आर. एस. (2003, दिसंबर). कृषि अर्थव्यवस्था पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों का प्रभाव। कृषि विकास और ग्रामीण परिवर्तन इकाई, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन संस्थान।
 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। (2020). एमएसपी की गणना। प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार।
<https://pib.gov.in/Pre>

ssReleasePage.aspx?

PRID=1605054

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। (2025, 30 अप्रैल). मंत्रिमंडल ने चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को चीनी सीजन 2025-26 के लिए देय गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को मंजूरी दी। प्रेस सूचना ब्यूरो, भारत सरकार।

<https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2125471>